

न्यायालय:-क. ज्योति चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद, म.प्र.

// सूचना-पत्र //

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाईजरी/निर्देश क-345/आर.जी/2020 जबलपुर, दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं:-

सरल कं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक(आपराधिक प्रकरण)	आगामी नियत दिनांक(सिविल प्रकरण)
1.	20.03.2020	15.06.2020	04.05.2020
2.	21.03.2020	16.06.2020	05.05.2020
3.	23.03.2020	17.06.2020	06.05.2020
4.	24.03.2020	18.06.2020	08.05.2020
5.	26.03.2020	19.06.2020	11.05.2020
6.	27.03.2020	22.06.2020	12.05.2020
7.	28.03.2020	23.06.2020	13.05.2020
8.	30.03.2020	24.06.2020	14.05.2020
9.	31.03.2020	25.06.2020	15.05.2020

नोट:- अंतिम तर्क एवं अभियुक्त कथन के प्रकरणों की तिथि पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त नियत तिथियों के अतिरिक्त अन्य दिनांक को नियत की जायेगी।

-s/d

(क. ज्योति चतुर्वेदी)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
होशंगाबाद (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद की ओर प्रेषित।
2. अधीक्षक केंद्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम कं. 2 में वर्णित पेशी दिनांक के वारंट/अभियुक्त को कॉलम कं. 3 में वर्णित नियत दिनांक को न्यायालय में पेश करें।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचनापत्र को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।
4. न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

(क. ज्योति चतुर्वेदी)
20-3-20
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
होशंगाबाद (म.प्र.)